

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पन्नकुला।

यादि क्रमांक 861-व-5-2015/
चण्डीगढ़ दिनांक

407
21/12/2016

विषय.

Diversion of 0.105 ha. of forest land for access to retail outlet of I.O.C. Ltd. along Atwal road (NH-248A) Km. 60.438. L/side, at village Madhl, under forest division and district Mewat, Haryana. (D-III-6487)

संख्या.

आपका पत्र क्रमांक डी-III-6487/5581 दिनांक 21.12.2015.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की अनुमति मांगी गई है।

विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.0105 ha भूमि का उपयोग के लिए सैधातिक स्वीकृति सहित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती

- (i) प्रयोक्ता एजेंन्सी से स्कीम के अनुसार 335806/-रु प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमाकरवाई जाये।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2009, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/20.07-एफओसी० दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नेट प्रेजेन्ट वैल्यु जमा करवाई जाये।
- (iii) भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/कैम्पा दिनांक 24.06.2011 के तहत दिए गये अनुदेशों के अनुसार NVP तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के (कैम्पा हरि०) लेखा संख्या SB01025209 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 नूतल सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या (कैम्पा-हरि०) लेखा संख्या SB344902010105418 भारतीय यूनिजन बैंक सुन्दरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और सरकार को निर्धारित प्रक्रामा द्वारा सूचित किया जाये।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा ओएसओडी० तदर्थ कैम्पा सं राशि जमा होने की पुष्टी भी करवाई जाये ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकार की अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

विशेष सचिव,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

वन मण्डल अधिकारी, मैवात।

13-7
13/1/16